न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 13/2007 (223 आर0टी0एक्ट0)
आर.सी.एम.एस. संख्या :— 2007/00007

उनवान

समुन्दर सिंह पुत्र श्री सुन्दर जाति जाट निवासी नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र श्री घमण्डी (मृतक)
   1/1. बृजेन्द्र, 1/2. बच्चू, 1/3. किशना } पिसरान स्व0 अमरचन्द जातियान जाट निवासी नगला जटमासी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
2. महाराज सिंह पुत्र श्री घमण्डी (मृतक)
   2/1. शान्ती धर्मपत्नी स्व0 महाराज सिंह, 2/2. नाहर सिंह पुत्र स्व0 महाराज सिंह } जाति जाट नि0 जटमासी तह0 रूपवास जिला भरतपुर
   2/3. गुड्डी पुत्री महाराज सिंह पत्नी शिव सिंह, 2/4. पारो पुत्री महाराज सिंह पत्नी ओमप्रकाश } जाति जाट नि0 हाल मई तह0 नदबई, भरतपुर।
   2/5. जग्गा पुत्री महाराज सिंह पत्नी जीतेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी न्यौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
   2/6. शकुन्तला पुत्री महाराज सिंह पत्नी कृष्णा उर्फ लाला जाति जाट निवासी पुरा (मालौनी) तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. राजकुमार
4. सोनीराम
5. हीरा } पुत्रान घमण्डी जातियान जाट नि0 नगला जटमासी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
6. शिव सिंह पुत्र श्री लख्मीचन्द
7. चन्द्रभान पुत्र श्री लख्मीचन्द } जाति जाट निवासी नगल जटमासी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
8. फौरन पुत्र श्री मूला
9. सुवरन पुत्र श्री मूला } जाति जाट निवासी नगला जटमासी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
10. लच्छो वेवा रामजीलाल (दौराने अपील फौत)
11. रामबाबू पुत्र रामजीलाल } जाति जाट नि0 नगला जटमासी तह0 रूपवास
12. शीला पुत्री रामजीलाल पत्नी भीम सिंह जाति जाट निवासी कूम्हां तह0 व जिला भरतपुर।
13. गिर्राजी वेवा जगन जाति जाट निवासी नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
14. वीरनदेई पुत्री जगन पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी सुगरीयान तहसील व जिला भरतपुर।
15. सरोज पुत्री जगन पत्नी सुन्दर जाति जाट निवासी सोगरिया नगला तहसील व जिला भरतपुर।
16. सोनदेई पुत्री जगन पत्नी अतर सिंह जाति जाट निवासी महावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।
17. लक्ष्मी देवी वेवा हरीओम जाति जाट निवासी नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
18. विक्रम पुत्र हरीओम नाबालिग संरक्षक मॉ लक्ष्मी देवी जाति जाट निवासी नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
19. भोला पत्नी हरीओम जाति जाट निवासी नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
20. सीमा पुत्री हरीओम
21. सुधा पुत्री हरीओम
22. सुमन पुत्री हरीओम } जाति जाट निवासी नगला जटमासी तह0 रूपवास जिला भरतपुर।
23. गम्भीर पुत्र श्री जगन जाति जाट निवासी नगल जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 07.03.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास प्रकरण संख्या 149/02 उनवानी समुन्द सिंह बनाम अमरचन्द वगै0।

अभिभाषकगण :–

1. अभिभाषक अपीलाण्ट श्री सुघड सिंह उपस्थित ।
2. अभिभाषक रैस्पो0 श्री महाराज सिंह उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :–25.07.2018

1. यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 223 के तहत, उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 07.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0 /प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 693 रकवा 08 विस्वा गैर मुमकिन चाहा वाके ग्राम नगला जटमासी तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त विवादित चाहा में अपीलाण्ट/वादी 1/4 भाग का रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 1/4 भाग, 6 व 7 1/4 भाग व 08 लगायत 18 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार काबिज हैं एवं उक्त चाहा में सभी खातेदार अपने हिस्से के मुताबिक सिंचाई करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादी को उनके बाबा भौंदू से प्राप्त हुई है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का उक्त चाहा में अपीलाण्ट/वादी के हिस्से तक किसी प्रकार से कोई लेना–देना नहीं है। किन्तु राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती से रैस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम टीप चढ़ गयी है एवं उक्त टीप की वजह से रैस्पो0/प्रतिवादीगण, अपीलाण्ट/वादी को उक्त चाहा से सिंचाई करने से रोकना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट अपनी आराजी की सिंचाई उक्त चाह से अपने पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे हैं एवं मौके पर उक्त चाह पर अपीलाण्ट का इंजन रखा हुआ है तथा वहिस्सा काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी व जमाबन्दी संवत 1988 एवं संवत 2008 का अवलोकन नहीं किया है, उक्त राजस्व दस्तावेजों में अपीलाण्ट के बाबा भौंदू उक्त खसरा नम्बर के मालिक व काबिज थे तथा उसी के आधार पर अपीलाण्ट आज दिनांक तक उक्त चाह कूँआ का प्रयोग सिंचाई कार्य हेतु करता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 02 व 03 में वर्णित तथ्यों पर एवं अपीलाण्ट की गवाहन की गवाही पर कतई गौर नहीं किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1989 पेज 735 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि जमाबन्दी संवत 2013–16 के खाता संख्या 162 में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 693 पर रैस्पो0 के पिता गंगाधर, घमण्डी, मूला की खुदकाश्त दर्ज हैं अतः रैस्पो0 को, विवादित आराजी खुदकाश्त में दर्ज होने के कारण, खातेदारी मिली है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई संबंध सारोकार नहीं है। रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 6 एवं 7 व 8 उक्त आराजी में 1/3–1/3 भाग के खातेदार काश्तकार, अपने पिता के समय से ही चले आ रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचना की जाकर, उचित ही अपीलाण्ट का दावा खारिज किया है। अपने तर्को के समर्थन में वक्त बहस जमाबन्दी संवत 2013–16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित सात तनकियॉ कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **''आया वादी खसरा नम्बर 693 रकवा 08 विस्वा गैर मुमकिन चाहा वाके ग्राम नगला जटमासी का 1/4 भाग का घोषित खातेदार काश्तकार है''** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2057–60 में अंकित विवादित आराजी में रैस्पो0 अमरचन्द, महाराज सिंह, रामप्रसाद, सोनीराम, हीरा पिसरान घमण्डी वहिस्सा बराबर 1/3, शिव सिंह, चन्द्रभान पिसरान लक्ष्मीचन्द वहिस्सा बराबर 1/3 व रामजीलाल व जगन, फौरन व सुवरन पिसरान मूला वहिस्सा बराबर 1/3 साकिन देह खातेदार अंकित हैं। अपीलाण्ट/वादी द्वारा उक्त इन्द्राजों को गलत साबित करने एवं कथनों की पुष्टि में, किसी तरह का दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है। अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत 2008 के इन्द्राजों की ओर जोर दिया है। हम पाते हैं कि प्रदर्श–5, जमाबन्दी संवत 2008 खतौनी नम्बर 163 पर मालिक के खाने में भौंदू ; जिसे अपीलाण्ट/वादी अपना बाबा बताता है, का नाम दर्ज है परन्तु कॉलम संख्या 5 ''नाम काश्तकार'' में खुद काश्त घमण्डी अंकित है, ना कि भौंदू अतः खातेदारी अधिकार घमण्डी को सृजित होते हैं एवं उनके उपरान्त उनके वारिसों को ही मिल सकते हैं। घमण्डी से अपीलाण्ट/वादी का कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा अपीलाण्ट/वादी का, भौंदू के वारिस होने का भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी में कोई खातेदारी अधिकार सृजित नहीं होते हैं। तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट सिद्ध होती है।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **''आया वादी घोषित खातेदार के आधार पर सिंचाई का सुखाधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है''** तनकी संख्या 01 की विवेचनानुसार, जब अपीलाण्ट/वादी के विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार नहीं पाये गये हैं तो सिंचाई का सुखाधिकार भी नहीं दिया जा सकता है। तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट तय होती है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **''आया प्रतिवादीगण रिकार्डेड व कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं जिसमें वादी को कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त नहीं हैं''** जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में आ चुका है, जमाबन्दी संवत 2057–60 में रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 140 ''प्रविष्टियों के रूप में अनुमान'' के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रविष्टियों को तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि उन्हें गलत साबित नहीं किया जाता। अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के उक्त अंकन के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया है। अतः अपीलाण्ट विवादित आराजी में कोई अधिकार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तनकी वहक रैस्पो0 विरूद्ध अपीलाण्ट सिद्ध होती है।

9. <u>तनकी संख्या 04</u> **" आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 693 रकवा 08 विस्वा पर वादी का कोई कब्जा किसी किस्म का नहीं है, तो सुखाधिकार प्राप्त करने का वादी अधिकारी नहीं है"** तनकी संख्या 02 के निर्णय से प्रभावित होती है। अतः विनिश्चित किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

10. <u>तनकी संख्या 05</u>, तनकी संख्या 01, 02 पर आधारित है। चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 खिलाफ अपीलाण्ट/वादी निर्णित हुई हैं। अतः इस तनकी बाबत् विवेचना प्रासंगिक नहीं है।

11. <u>तनकी संख्या 07</u> **"दावा वैटर एण्ड फर्दर पार्टीक्यूलर्स का मोहताज होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य है"** अधीनस्थ न्यायालय के इस तनकी बाबत निष्कर्ष में हमे कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

12. <u>तनकी संख्या 06 अनुतोष</u> – समस्त तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

13. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के आदेश दिनांक 07.03.2007 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

14. निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official